

**दिनांक 19.09.2018 को मुख्यालय पर समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्पोरेट सर्किल) की समीक्षा बैठक
कार्यवृत्त**

कमिशनर, वाणिज्य कर उ०प्र० द्वारा बैठक में समीक्षोपरान्त समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्पो० सर्किल) से निम्नवत कार्य बिन्दुओं पर अपेक्षित कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये।

1. प्रदेश के समस्त कार्पोरेट सर्किल में वर्ष 2018-19 के कालबाधित नियमित वादों की दि० 01.04.2018 को अवशेष सं० 1368 के सापेक्ष केवल 336 वादों का निस्तारण किया गया। कार्पो० सर्किल लखनऊ प्रथम व आगरा में शून्य निस्तारण है जो घोर आपत्तिजनक है। फिरोजाबाद में 3, सोनभद्र में 4, कानपुर प्रथम/द्वितीय में 5/6, बरेली में 8 एवं नोएडा में 9 वादों का अभी तक निस्तारण किया गया, जिसपर कमिशनर महोदया द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी को निर्देशित किया गया कि वर्ष 2015-16 के साथ-साथ वर्ष 2016-17 के वादों का भी निस्तारण इसी वर्ष सुनिश्चित किया जाये।
2. समस्त कार्पो० सर्किल में कुल वि०अनु०शा० संदर्भित वादों की संख्या 111 है जिसमें केवल 30 वादों का निस्तारण किया गया। यह स्थिति असन्तोषजनक है। कार्पो०सर्किल गाजियाबाद प्रथम, लखनऊ द्वितीय, कानपुर द्वितीय एवं आगरा में शून्य निस्तारण होने पर कमिशनर महोदया द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई। निर्देशित किया गया कि दिसम्बर-18 तक सभी वि०अनु०शा० संदर्भित वादों का निस्तारण पूर्ण किया जाये।
3. कार्पो०सर्किल कानपुर प्रथम में 05 नियमित वादों के निस्तारण से कुल 55 हजार की मांग सृजित हुई जो जमा भी नहीं हुआ। कमिशनर महोदया द्वारा सभी 05 निस्तारित वादों की पत्रावली पुनरीक्षण हेतु मुख्यालय के निरीक्षण अनुभाग में भेजने के लिए निर्देशित किया गया।

(बिन्दु सं० 01 से 03 तक समस्त ज्वा०कमि०(कार्पो०) अनु० ज्वा०कमि०(निरीक्षण)

4. बकाया वसूली की समीक्षा में सभी को निर्देशित किया गया है कि समस्त आर०सी० विभागीय वेबसाइट के मॉड्यूल में अपलोड करायी जाए तथा सृजित मांग की वसूली प्रत्येक दशा में पूर्ण की जाये।
5. कार्पो० सर्किल के बकाया वसूली के विवरण एमपीआर-5 में माह के अन्त में शुद्ध वसूली योग्य बकाया रु० 44.40 करोड़ दर्शायी गयी है। नियमानुसार कार्यवाही करते हुये वसूली सुनिश्चित की जाये।

(बिन्दु सं० 04 से 05 तक समस्त ज्वा०कमि०(कार्पो०) अनु० ज्वा०कमि०(संग्रह)

6. बैठक में जी०एस०टी० के अन्तर्गत कार्पो०सर्किल की व्यवस्था के सन्दर्भ में विचार विमर्श किया गया। कार्पो०सर्किल के स्वरूप हेतु जी०एस०टी० एवं सेवा क्षेत्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण विचार रखे गये। अपेक्षा की गयी कार्पो० सर्किल के नवीन स्वरूप के सन्दर्भ में अपने सुझाव/विचार अतिशीघ्र उपलब्ध कराया जाए तथा Online hearing किये जाने पर अभिमत दि० 03.10.18 तक उपलब्ध कराये जाये ताकि कार्पो०सर्किल का स्वरूप नियत किया जा सके।

(समस्त ज्वा०कमि०(कार्पो०) अनु० ज्वा०कमि०(जी०एस०टी०/विधि)

बैठक के अन्त में राजस्व संग्रह वृद्धि हेतु हर सम्भव प्रयास सुनिश्चित करने एवं गत वर्ष के सभी कर निर्धारण वादों को इसी वित्तीय वर्ष में निस्तारण करने की अपेक्षा के साथ सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

यह कार्यवृत्त कमिशनर, वाणिज्य कर, उ०प्र० से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में जारी किया जा रहा है।

(ए०के० शुक्ला)

एडीशनल कमिशनर (विधि), वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या-एस०एस०कार्पो० समीक्षा बैठक-18-19/ 458/वाणिज्य कर(संख्या अनु०) दि० 27-9-2018
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 2-समस्त एडीशनल कमिशनर(प्रशासन/विधि/जी०एस०टी०) वाणिज्य कर, मुख्यालय।
- 3-समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्पो०सर्किल) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 4-ज्वाइन्ट कमिशनर (संग्रह/धारा-59/निरीक्षण/संख्या) वाणिज्य कर, मुख्यालय।
- 5-वारिष्ठ स्टाफ अधिकारी प्रथम/द्वितीय, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
- 6-डिप्टी कमिशनर (आई०टी०) वाणिज्य कर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

ज्वाइन्ट डायरेक्टर(संख्या), वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।